

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3

नामांतरण अपील वाद सं० 3/2020-21

जयमूर्ति देवी प्रति कमरून निशा

आदेश

25.03.2022

अभिलेख उपस्थापित। प्रस्तुत वाद आवेदक के द्वारा अंचल अधिकारी, रमना के नामांतरण वाद सं० 22/2020-21 में दिनांक 29.05.2020 को पारित आदेश के विरुद्ध अपील वाद दायर किया गया। तदनुसार उभय पक्ष को नोटिस निर्गत किया गया तथा अंचल अधिकारी रमना से मूल अभिलेख की मांग की गयी। अपीलार्थी अपने विज्ञ अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित होकर अपना कागजात दाखिल किये। अंचल अधिकारी, रमना से मूल अभिलेख प्राप्त हुआ।

प्रत्यर्थी के विज्ञ अधिवक्ता लगातार कई तिथियों से अनुपस्थित है। इस लिए अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता को एक पक्षीय सुना। अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता का कथन है कि अंचल रमना मौजा मडवनीयां में कंचन देवी से केवाला सं० 281 दिनांक 14.02.2019 से खाता नं० 21 प्लॉट नं० 344 रकबा 0.31¼ एकड़ वो केवाला सं० 280 दिनांक 14.02.2019 से खाता नं० 21 प्लॉट नं० 344 रकबा 0.31¼ एकड़ भूमि खरीद की एवं दखल कब्जे में आई एवं नामांतरण कराकर लगान रसीद कटाते चली आ रही है। प्रत्यर्थी ने एक दुसरे व्यक्ति से जिसकी भूमि थी ही नहीं उनसे केवाला कराकर गलत तरीके से अंचल अधिकारी को मेल में लाकर रैयत का नाम कंचन देवी दिखाकर नामांतरण कराया गया जबकि बिक्रेता निलीमा देवी है। अंचल अधिकारी ने गलत तरीके से नामांतरण कर दिया जबकि उक्त भूमि का नामांतरण पूर्व से अपीलार्थी के नाम होकर रसीद कट रही है। जिससे दोहरी जमाबंदी कायम हो गई जबकि अपीलार्थी के नामांतरण के बाद रकबा बचा ही नहीं है। इतना ही नहीं उक्त भूमि पर व्यवहार न्यायालय में गढ़वा के न्यायालय में स्वत्व वाद चल रहा है उसकी अनदेखी करते हुए अंचल अधिकारी ने नामांतरण स्वीकृत कर दिया, जो सरासर गलत है। अंचल अधिकारी ने आम इस्तेहार भी निर्गत नहीं किया केवल टेबुल वर्क किया है। इस बात की जानकारी अपीलार्थी को दिनांक 11.07.2020 को हुई उसी दिन नकल हेतु आवेदन दिया उसी दिन नकल प्राप्त हुआ दिनांक 12.07.2020 रविवार था इसलिए अपने अधिवक्ता से सम्पर्क कर अपील तैयार करायी जो समय सीमा के अन्दर है। अपीलार्थी अंचल अधिकारी रमना के द्वारा नामांतरण वाद सं० 22/2020-21 में दिनांक 29.05.2020 को पारित आदेश को निरस्त करने की कृपा प्रदान किया जाय।

अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता के ओर से दाखिल कागजात निम्न प्रकार है :-

1. केवाला सं० 280 वो 281 दिनांक 15.02.2017 की छायाप्रति ... 28 फर्द
2. लगान रसीद की छायाप्रति 2 फर्द

लगातार


page no. 1

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश कार्यवाही दिनांक
1	2	3
	<p>अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता की ओर दाखिल कागजात एवं अभिलेख में संलग्न दस्तावेज तथा अंचल अधिकारी, रमना से प्राप्त मूल अभिलेख का अवलोकन किया। अवलोकनोपरान्त पाया कि अंचल रमना मौजा मडवनिया के खाता सं० 21 प्लॉट सं० 344 कुल रकबा 5.94 एकड़ भूमि का जमाबंदी रैयत कंचन देवी कमल किशोर सिंह सरयु प्रसाद सिंह विष्णु प्रसाद के नाम ऑनलाईन मांग पंजी 2 के पृष्ठ सं० 19 भाग सं० 1 पर मांग चलता है। गत सर्वे के मांग पंजी 2 के पृष्ठ सं० 3 भाग सं० 4 पर राम ख्याल सिंह वगैरह पिता हितनारायण सिंह के नाम से मांग संधारित है। अपीलार्थी का अभिलेख में संलग्न केवाला में अंकित वंशावली निम्न प्रकार है :-</p> <p style="text-align: center;">हितनारायण सिंह</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p>रामख्याल सिंह सरयु प्रसाद सिंह विष्णु प्रसाद सिंह बंकटेश्वर सिंह (मृत)</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p>आगमणी देवी(पुत्री) कंचन देवी(पुत्री) निलिमा देवी(पुत्री)</p> <p>अपीलार्थी ने प्लॉट सं० 344 रकबा 31.25 डी० भूमि केवाला सं० 280 दिनांक 15.02.2017 से विक्रेता कंचन देवी पति उमेश्वर प्रसाद सिंह क्रय की है जिसका नामांतरण वाद सं० 19/2017-18 है से ऑनलाईन मांगपंजी 2 के पृष्ठ सं० 3 भाग सं० 2 पर संधारित है एवं लगान रसीद वर्ष 2020-21 तक निर्गत है। मूल अभिलेख में संलग्न प्रत्यर्थी कमरून निशा ने खाता सं० 150 प्लॉट सं० 583 रकबा 48.25 डी० भूमि केवाला सं० 2240 दिनांक 08.04.2006 से विक्रेता निलिमा देवी पिता बंकटेश्वर सिंह पति ददन सिंह से क्रय की है जिसका ऑफलाईन नामांतरण कराकर मांगपंजी 2 के पृष्ठ सं० 4 भाग सं० 4 पर संधारित है एवं ऑफलाईन लगान रसीद वर्ष 2014-15 तक निर्गत है। इस भूमि का हाल सर्वे के अनुसार पुराना खाता सं० 150 से नया खाता सं० 21 पुराना प्लॉट सं० 583 से नया प्लॉट सं० 344 बना है। का ऑनलाईन लगान रसीद निर्गत कराने हेतु अंचल में आवेदन पत्र दिया गया है जिसे ऑनलाईन नामांतरण वाद सं० 22/2020-21 से ऑनलाईन मांगपंजी 2 के पृष्ठ सं० 11 भाग सं० 5 पर संधारित है एवं ऑनलाईन लगान रसीद वर्ष 2020-21 तक निर्गत है। यह वाद दोहरी जमाबंदी का नहीं बनता है क्योंकि उक्त प्लॉट का हाल सर्वे खतियान के अनुसार रकबा 5.94 एकड़ है इसी में से नामांतरण होकर सभी क्रेतागण का लगान रसीद निर्गत है।</p> <p>अतः अपीलार्थी और प्रत्यर्थी दोनों एक ही खतियानी रैयत के वंशज से भूमि क्रय किये है तथा अपने-अपने केवाला के अनुसार नामांतरण कराकर रसीद कटा रहे है। ऐसी स्थिति में अपीलार्थी का अपील आवेदन पत्र अस्वीकृत करते हुए वाद की कार्रवाई समाप्त किया जाता है।</p> <p>आदेश की प्रति अंचल अधिकारी, रमना को अनुपालन हेतु भेजें।</p> <p>लेखापित एवं संशोधित भूमि सुधार उपसमाहर्ता, श्री बंशीधर नगर।</p> <p style="text-align: right;">25/11/2020 भूमि सुधार उपसमाहर्ता, श्री बंशीधर नगर।</p>	<p style="text-align: right;">5/11/2020</p>